संख्या-317/2026/683/22-2-2025-17(749)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 02 अप्रैल, 2026*

विषय:- जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टीकाराम पुत्र श्री गिर्राज, निवासी जनपद-मथुरा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-5889/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-04.02.2025, दिनांक 13.02.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टीकाराम पुत्र श्री गिर्राज, ग्राम महराना, थाना-बरसाना, जनपद-मथुरा का निवासी है। बन्दी द्वारा होली खेलने के विवाद को लेकर दिनांक 22.03.2008 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल व तमंचा से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-404/2008 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 504 व 7 सी०एल०ए० एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-08, मथुरा के दण्डादेश दिनांक 07.12.2021 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में बन्दी की अपील लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 13.12.2024 तक अपरिहार 04 वर्ष 02 माह 05 दिन तथा 04 वर्ष 10 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनाक 13.12.2024 तक आजीवन कारावास के सापेक्ष अपरिहार 04 वर्ष, 02 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 04 वर्ष, 10 माह, 12 दिन की भोगी गयी सजा, बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध (03 व्यक्तियों की हत्या) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टीकाराम (बन्दी संख्या-222/2021) पुत्र श्री गिर्राज, निवासी जनपद-मथुरा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव

संख्या-317/2026/683(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।